कार्यालयः— मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चम्पावत।

आदेश संख्या/ 165 /अतिथि शिक्षक/2020–21/ दिनांक 20 नवम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या –284– 286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी 2020 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश सं0–104(1)/XXIV-B-1/2020–32(01)/2013 टी0सी0–5 दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त अनुमति एवं निर्देशो के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–1023/XXIV–नवसृजित/18–32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर 2018 एवं निदेशालय के पत्रांक–सेवा–2/6031/गेस्ट टीचर/2020–21/दिनांक 22 जुलाई, 2020 के क्रम में गेस्ट टीचर के रूप में चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–11 में अंकित विद्यालय में **प्रवक्ता गृहविज्ञान** के रिक्त पद के प्रति नितान्त अस्थाई रूप से तैनात किया जाता हैः–

प्रवक्ता गृहविज्ञान महिला –शाखा

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	लिंग (M/F)	जन्म तिथि	जाति (GEN/ SC/ ST/ OBC)	आरक्षित उपश्रेणी (PH/ EX/ FF)	शैक्षिक योग्यता	सत्यापन के उपरान्त मेरिट के गुणांक	तैनाती का विषय	तैनाती के विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सविता जोशी	श्री भूपेश जोशी ग्राम गोस्नी पोस्ट खेतीखान जिला (चम्पावत)	महिला	04-07-1991	Gen	–	स्नातकोत्तर/ बी0एड0	**75.26**	गृह विज्ञान	रा0बा0इ0का0 खेतीखान
2	अंकिता सिंह	श्री सुरेन्द्र सिंह वार्ड न0 8 टनकपुर चम्पावत।	महिला	27-08-1988	Gen	–	स्नातकोत्तर/ बी0एड0	**74.30**	गृह विज्ञान	रा0बा0इ0का0 टनकपुर

उक्त तैनाती निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगीः–

1. मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–284–286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil) Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2020 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत है–

(VIII) In the interregnum period, to take care of the exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularisation or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.

(IX) The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31st March, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly seleted guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.

2. उक्त आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–284–286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी 2020 के अधीन रहेंगे।
3. यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी, नियमित नियुक्ति (सीधी भर्ती/पदोन्नति/ स्थानान्तरण से) होने पर उक्त अस्थायी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में नियुक्त/तैनात किए जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
4. गेस्ट टीचर/अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रू0 15000/– (पन्द्रह हजार रूपये) मात्र की दर से अनुमन्य होगा।

उक्तवत तैनात अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कॉलम–11 में अंकित तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(आर0सी0पुरोहित)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पवत।

पृ0 संख्या/सेवायें–1/ 9421-30 /अतिथि शिक्षक/2020–21/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
3. कोषाधिकारी चम्पावत।
4. वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा जनपद चम्पावत।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से कि संबंधित अभ्यर्थी की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं का भली–भांति मिलान करने के उपरान्त नोटरी शपथ पत्र में अनुबंधित करने क उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करायें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पावत।

कार्यालयः– मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चम्पावत।

आदेश संख्या/सेवायें–1/ 166 /अतिथि शिक्षक/2020–21/ दिनांक 20 नवम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या –284– 286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी 2020 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश सं0–104(1)/XXIV-B-1/2020–32(01)/2013 टी0सी0–5 दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त अनुमति एवं निर्देशो के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–1023/XXIV–नवसृजित/18–32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर 2018 एवं निदेशालय के पत्रांक–सेवा–2/6031/गेस्ट टीचर/2020–21/दिनांक 22 जुलाई, 2020 के क्रम में गेस्ट टीचर के रूप में चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–11 में अंकित विद्यालय में **प्रवक्ता राजनीति विज्ञान** के रिक्त पद के प्रति नितान्त अस्थाई रूप से तैनात किया जाता है:–

प्रवक्ता राजनीति विज्ञान महिला–शाखा

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	लिंग (M/F)	जन्म तिथि	जाति (GEN/ SC/ ST/ OBC)	आरक्षित उपश्रेणी (PH/ EX/ FF)	शैक्षिक योग्यता	सत्यापन के उपरान्त मेरिट के गुणांक	तैनाती का विषय	तैनाती के विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अनीता नेगी	श्री हरीश सिंह नेगी ग्राम–ई–ब्लाक 58/11 जज फार्म हल्द्वानी नैनी0	महिला	23-12-1985	Gen	–	स्नातकोत्तर/ बी0एड0	**66.69**	राजनीति विज्ञान	रा0बा0इ0का0 टनकपुर

उक्त तैनाती निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी:–

1. मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–284–286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil) Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2020 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत है–

(VIII) In the interregnum period, to take care of the exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularisation or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.

(IX) The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31st March, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly seleted guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.

2. उक्त आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–284–286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी 2020 के अधीन रहेंगे।
3. यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी, नियमित नियुक्ति (सीधी भर्ती/पदोन्नति/ स्थानान्तरण से) होने पर उक्त अस्थायी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में नियुक्त/तैनात किए जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
4. गेस्ट टीचर/अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रू0 15000/– (पन्द्रह हजार रूपये) मात्र की दर से अनुमन्य होगा।

उक्तवत तैनात अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कॉलम–11 में अंकित तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(आर0सी0पुरोहित)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पवत।

पृ0 संख्या/सेवायें–1/9431-38/अतिथि शिक्षक/2020–21/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
3. कोषाधिकारी चम्पावत।
4. वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा जनपद चम्पावत।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से कि संबंधित अभ्यर्थी की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं का भली–भांति मिलान करने के उपरान्त नोटरी शपथ पत्र में अनुबंधित करने क उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करायें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पावत।

कार्यालयः– मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चम्पावत।

आदेश संख्या/सेवायें–1/ 167 /अतिथि शिक्षक/2020–21/ दिनांक 20 नवम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या –284– 286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी 2020 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश सं0–104(1)/XXIV-B-1/2020–32(01)/2013 टी0सी0–5 दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त अनुमति एवं निर्देशो के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–1023/XXIV–नवसृजित/18–32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर 2018 एवं निदेशालय के पत्रांक–सेवा–2/6031/गेस्ट टीचर/2020–21/दिनांक 22 जुलाई, 2020 के क्रम में गेस्ट टीचर के रूप में चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–11 में अंकित विद्यालय में **प्रवक्ता गणित** के रिक्त पद के प्रति नितान्त अस्थाई रूप से तैनात किया जाता हैः–

प्रवक्ता गणित सामान्य–शाखा

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	लिंग (M/F)	जन्म तिथि	जाति (GEN/ SC/ ST/ OBC)	आरक्षित उप श्रेणी (PH/ EX/ FF)	शैक्षिक योग्यता	सत्यापन के उपरान्त मेरिट के गुणांक	तैनाती का विषय	तैनाती के विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	श्री छत्रपाल सिंह	श्री कल्यान सिंह ग्राम बारोकोट पोस्ट व तहसील बाराकोट (चम्पावत)	पुरूष	02-05-1978	Gen	–	स्नातकोत्तर/ बी0एड0	**71.34**	गणित	रा0इ0का0 बाराकोट

उक्त तैनाती निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगीः–

1. मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–284–286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil) Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2020 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत है–

(VIII) In the interregnum period, to take care of the exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularisation or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.

(IX) The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31st March, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly seleted guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.

2. उक्त आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–284–286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी 2020 के अधीन रहेंगे।
3. यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी, नियमित नियुक्ति (सीधी भर्ती/पदोन्नति/ स्थानान्तरण से) होने पर उक्त अस्थायी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में नियुक्त/तैनात किए जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
4. गेस्ट टीचर/अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रू0 15000/– (पन्द्रह हजार रूपये) मात्र की दर से अनुमन्य होगा।

उक्तवत तैनात अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कॉलम–11 में अंकित तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(आर0सी0पुरोहित)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पवत।

पृ0 संख्या/सेवायें–1/ 9439-46 **/अतिथि शिक्षक/2020–21/ तद्दिनांक।**

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
3. कोषाधिकारी चम्पावत।
4. वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा जनपद चम्पावत।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से कि संबंधित अभ्यर्थी की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं का भली–भांति मिलान करने के उपरान्त नोटरी शपथ पत्र में अनुबंधित करने क उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करायें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पावत।

कार्यालयः– मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चम्पावत।

आदेश संख्या/सेवायें–1/ 169 / अतिथि शिक्षक /2020–21/ दिनांक 20 नवम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या –284– 286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी 2020 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश सं0–104(1)/XXIV-B-1/2020–32(01)/2013 टी0सी0–5 दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त अनुमति एवं निर्देशो के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–1023/XXIV–नवसृजित/18–32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर 2018 एवं निदेशालय के पत्रांक–सेवा–2/6031/गेस्ट टीचर/2020–21/दिनांक 22 जुलाई, 2020 के क्रम में गेस्ट टीचर के रूप में चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–11 में अंकित विद्यालय में **प्रवक्ता अंग्रेजी** के रिक्त पद के प्रति नितान्त अस्थाई रूप से तैनात किया जाता है:–

प्रवक्ता अंग्रेजी सामान्य–शाखा

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	लिंग (M/F)	जन्म तिथि	जाति (GEN/ SC/ ST/ OBC)	आरक्षित उपश्रेणी (PH/ EX/ FF)	शैक्षिक योग्यता	सत्यापन के उपरान्त मेरिट के गुणांक	तैनाती का विषय	तैनाती के विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	पुष्पा पाठक	श्री राजीव पाठक ककरालीगेट पूर्णागिरी रोड टनकपुर चम्पावत।	महिला	21-12-1976	Gen	–	स्नातकोत्तर/ बी0एड0	**72.47**	अंग्रेजी	रा0इ0का0 गूंठगरसाडी
2	पुष्पा जोशी	श्री हरीश चन्द्र जोशी सांत बाजार भैट्टीमार्ग जोशी निवास चम्पावत।	महिला	30-07-1989	Gen	–	स्नातकोत्तर/ बी0एड0	**67.27**	अंग्रेजी	रा0इ0का0 अमोडी
3	सविता गोस्वामी	श्री बिशन चन्द्र गोस्वामी निकट पाटनपुल लोहाघाट (चम्पावत)	महिला	08-05-1987	Obc	–	स्नातकोत्तर/ बी0एड0	**49.88**	अंग्रेजी	रा0इ0का0 बाराकोट

उक्त तैनाती निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी:–

1. मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–284–286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil) Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2020 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत है–

(VIII) In the interregnum period, to take care of the exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularisation or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.

(IX) The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31st March, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly seleted guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.

2. उक्त आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–284–286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी 2020 के अधीन रहेंगे।
3. यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी, नियमित नियुक्ति (सीधी भर्ती/पदोन्नति/ स्थानान्तरण से) होने पर उक्त अस्थायी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में नियुक्त/तैनात किए जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
4. गेस्ट टीचर/अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रू0 15000/– (पन्द्रह हजार रूपये) मात्र की दर से अनुमन्य होगा।

उक्तवत तैनात अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कॉलम–11 में अंकित तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(आर0सी0पुरोहित)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पवत।

पू0 संख्या/सेवायें–1/ 9447-54 /अतिथि शिक्षक/2020–21/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
3. कोषाधिकारी चम्पावत।
4. वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा जनपद चम्पावत।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से कि संबंधित अभ्यर्थी की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं का भली–भांति मिलान करने के उपरान्त नोटरी शपथ पत्र में अनुबंधित करने क उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करायें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पावत।

कार्यालयः– मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चम्पावत।

आदेश संख्या/सेवायें–1/ 169 /अतिथि शिक्षक/2020–21/ दिनांक 20 नवम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या –284– 286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी 2020 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश सं0–104(1)/XXIV-B-1/2020–32(01)/2013 टी0सी0–5 दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त अनुमति एवं निर्देशो के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–1023/XXIV–नवसृजित/18–32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर 2018 एवं निदेशालय के पत्रांक–सेवा–2/6031/गेस्ट टीचर/2020–21/दिनांक 22 जुलाई, 2020 के क्रम में गेस्ट टीचर के रूप में चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–11 में अंकित विद्यालय में **प्रवक्ता वाणिज्य** के रिक्त पद के प्रति नितान्त अस्थाई रूप से तैनात किया जाता हैः–

प्रवक्ता वाणिज्य सामान्य–शाखा

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	लिंग (M/F)	जन्म तिथि	जाति (GEN/ SC/ ST/ OBC)	आरक्षित उप श्रेणी (PH/ EX/ FF)	शैक्षिक योग्यता	सत्यापन के उपरान्त मेरिट के गुणांक	तैनाती का विषय	तैनाती के विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	नीलम चन्द	श्री एम0सी0 रजवार ग्राम आमबाग टनकपुर (चम्पावत)	महिला	12-02-1991	Obc	–	स्नातकोत्तर/बी0एड0	68.59	वाणिज्य	रा0इ0का0 चम्पावत

उक्त तैनाती निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगीः–

1. मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–284–286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil) Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2020 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत है–

(VIII) In the interregnum period, to take care of the exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularisation or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.

(IX) The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31st March, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly seleted guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.

2. उक्त आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–284–286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी 2020 के अधीन रहेंगे।
3. यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी, नियमित नियुक्ति (सीधी भर्ती/पदोन्नति/ स्थानान्तरण से) होने पर उक्त अस्थायी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में नियुक्त/तैनात किए जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
4. गेस्ट टीचर/अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रू0 15000/– (पन्द्रह हजार रूपये) मात्र की दर से अनुमन्य होगा।

उक्तवत तैनात अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कॉलम–11 में अंकित तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(आर0सी0पुरोहित)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पवत।

पृ0 संख्या/सेवायें–1/ 9455-63 /अतिथि शिक्षक/2020–21/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
3. कोषाधिकारी चम्पावत।
4. वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा जनपद चम्पावत।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से कि संबंधित अभ्यर्थी की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं का भली–भांति मिलान करने के उपरान्त नोटरी शपथ पत्र में अनुबंधित करने क उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करायें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पावत।

कार्यालयः– मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चम्पावत।

आदेश संख्या/सेवायें–1/170 /अतिथि शिक्षक/2020–21/ दिनांक 20 नवम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या –284– 286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी 2020 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश सं0–104(1)/XXIV-B-1/2020–32(01)/2013 टी0सी0–5 दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त अनुमति एवं निर्देशो के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–1023/XXIV–नवसृजित/18–32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर 2018 एवं निदेशालय के पत्रांक–सेवा–2/6031/गेस्ट टीचर/2020–21/दिनांक 22 जुलाई, 2020 के क्रम में गेस्ट टीचर के रूप में चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–11 में अंकित विद्यालय में **प्रवक्ता रसायन विज्ञान** के रिक्त पद के प्रति नितान्त अस्थाई रूप से तैनात किया जाता हैः–

प्रवक्ता रसायन विज्ञान सामान्य–शाखा

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	लिंग (M/F)	जन्म तिथि	जाति (GEN/ SC/ ST/ OBC)	आरक्षित उप श्रेणी (PH/ EX/ FF)	शैक्षिक योग्यता	सत्यापन के उपरान्त मेरिट के गुणांक	तैनाती का विषय	तैनाती के विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	श्री संजीव कुमार	श्री महेश चन्द्र भट्ट ग्राम पिनाना तलाडी पोस्ट चौडामेहता (चम्पावत)	पुरूष	22-07-1989	Gen	–	स्नातकोत्तर/ बी0एड0	**81.25**	रसायन विज्ञान	रा0इ0का0 गूंठगरसाडी
2	दीपा अधिकारी	श्री प्रताप सिंह अधिकारी ग्राम पोस्ट मूलाकोट (चम्पावत)	महिला	02-07-1988	Gen	–	स्नातकोत्तर/ बी0एड0	**75.74**	रसायन विज्ञान	रा0इ0का0 पनियां
3	ललिता	श्री देवकीनन्दन ग्राम–बडेत पोस्ट झुडेली चम्पावत	महिला	20-12-1989	Gen	–	स्नातकोत्तर/ बी0एड0	**70.95**	रसायन विज्ञान	रा0इ0का0 चौडाकोट

उक्त तैनाती निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगीः–

1. मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–284–286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil) Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2020 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत है–

(VIII) In the interregnum period, to take care of the exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularisation or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.

(IX) The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31st March, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly seleted guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.

2. उक्त आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–284–286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी 2020 के अधीन रहेंगे।
3. यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी, नियमित नियुक्ति (सीधी भर्ती/पदोन्नति/ स्थानान्तरण से) होने पर उक्त अस्थायी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में नियुक्त/तैनात किए जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
4. गेस्ट टीचर/अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रू0 15000/– (पन्द्रह हजार रूपये) मात्र की दर से अनुमन्य होगा।

उक्तवत तैनात अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कॉलम–11 में अंकित तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(आर0सी0पुरोहित)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पवत।

पृ0 संख्या/सेवायें–1/ 9464-71 /अतिथि शिक्षक/2020–21/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
3. कोषाधिकारी चम्पावत।
4. वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा जनपद चम्पावत।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से कि संबंधित अभ्यर्थी की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं का भली–भांति मिलान करने के उपरान्त नोटरी शपथ पत्र में अनुबंधित करने क उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करायें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पावत।

कार्यालयः— मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चम्पावत।

आदेश संख्या/सेवायें—1/ 171 -T /अतिथि शिक्षक/2020—21/ दिनांक 20 नवम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या —284— 286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी 2020 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश सं0—104(1)/XXIV-B-1/2020—32(01)/2013 टी0सी0—5 दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त अनुमति एवं निर्देशो के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या—1023/XXIV—नवसृजित/18—32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर 2018 एवं निदेशालय के पत्रांक—सेवा—2/6031/गेस्ट टीचर/2020—21/दिनांक 22 जुलाई, 2020 के क्रम में गेस्ट टीचर के रूप में चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम—11 में अंकित विद्यालय में **प्रवक्ता भौतिक विज्ञान** के रिक्त पद के प्रति नितान्त अस्थाई रूप से तैनात किया जाता हैः—

प्रवक्ता भौतिक विज्ञान सामान्य—शाखा

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	लिंग (M/F)	जन्म तिथि	जाति (GEN/ SC/ ST/ OBC)	आरक्षित उपश्रेणी (PH/ EX/ FF)	शैक्षिक योग्यता	सत्यापन के उपरान्त मेरिट के गुणांक	तैनाती का विषय	तैनाती के विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अनीता पाण्डेय	श्री बसंत बल्लभ पाण्डेय मीना बजार लोहाघाट चम्पावत।	महिला	19-07-1989	Gen	—	स्नातकोत्तर/ बी0एड0	**66.02**	भौतिक विज्ञान	रा0इ0का0 चौमेल

उक्त तैनाती निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगीः—

1. मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या—284—286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil) Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2020 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत है—

(VIII) In the interregnum period, to take care of the exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularisation or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.

(IX) The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31st March, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly seleted guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.

2. उक्त आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या—284—286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी 2020 के अधीन रहेंगे।

3. यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी, नियमित नियुक्ति (सीधी भर्ती/पदोन्नति/ स्थानान्तरण से) होने पर उक्त अस्थायी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में नियुक्त/तैनात किए जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
4. गेस्ट टीचर/अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रू0 15000/– (पन्द्रह हजार रूपये) मात्र की दर से अनुमन्य होगा।

उक्तवत तैनात अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कॉलम–11 में अंकित तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(आर0सी0पुरोहित)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पवत।

पृ0 संख्या/सेवायें–1/9472-79/अतिथि शिक्षक/2020–21/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
3. कोषाधिकारी चम्पावत।
4. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा जनपद चम्पावत।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से कि संबंधित अभ्यर्थी की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं का भली–भांति मिलान करने के उपरान्त नोटरी शपथ पत्र में अनुबंधित करने क उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करायें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पावत।

कार्यालयः– मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चम्पावत।

आदेश संख्या/सेवायें–1/ 172 /अतिथि शिक्षक/2020–21/ दिनांक 20 नवम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या –284– 286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी 2020 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश सं0–104(1)/XXIV-B-1/2020–32(01)/2013 टी0सी0–5 दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त अनुमति एवं निर्देशो के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–1023/XXIV–नवसृजित/18–32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर 2018 एवं निदेशालय के पत्रांक–सेवा–2/6031/गेस्ट टीचर/2020–21/दिनांक 22 जुलाई, 2020 के क्रम में गेस्ट टीचर के रूप में चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–11 में अंकित विद्यालय में **प्रवक्ता हिन्दी** के रिक्त पद के प्रति नितान्त अस्थाई रूप से तैनात किया जाता हैः–

प्रवक्ता हिन्दी सामान्य–शाखा

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	लिंग (M/F)	जन्म तिथि	जाति (GEN/ SC/ ST/ OBC)	आरक्षित उपश्रेणी (PH/ EX/ FF)	शैक्षिक योग्यता	सत्यापन के उपरान्त मेरिट के गुणांक	तैनाती का विषय	तैनाती के विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	दीपा जोशी	श्री सुरेश चन्द्र जोशी ग्राम पोस्ट पाटी (चम्पावत)	महिला	09-10-1989	Gen	–	स्नातकोत्तर / बी0एड0	**71.99**	हिन्दी	रा0इ0का0 धूनाघाट
2	स्वयंप्रभा भट्ट	श्री नारायण दत्त भट्ट आदर्श कालोनी खटीमा वार्ड न0 19 ऊ0सिं0नगर।	महिला	24-06-1990	Gen	–	स्नातकोत्तर / बी0एड0	**71.45**	हिन्दी	रा0इ0का0 लोहाघाट
3	गायत्री जोशी	श्री पिताम्बर दत्त जोशी ग्राम पोस्ट बांकू तहसील लोहाघाट (चम्पावत)	महिला	20-12-1989	Gen	–	स्नातकोत्तर / बी0एड0	**69.39**	हिन्दी	रा0इ0का0 दिगालीचौड
4	श्री मृत्युंजय	श्री अवध किशोर मिश्र ग्राम–विरेन्द्र नगर गौठा सितारगंज ऊ0सिं0नगर।	पुरूष	16-06-1986	Gen	–	स्नातकोत्तर / बी0एड0	**63.94**	हिन्दी	रा0इ0का0 भिंगराडा

उक्त तैनाती निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगीः–

1. मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–284–286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil) Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2020 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत है–

LB

(VIII) In the interregnum period, to take care of the exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularisation or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.

(IX) The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31st March, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly seleted guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.

2. उक्त आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–284–286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी 2020 के अधीन रहेंगे।
3. यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी, नियमित नियुक्ति (सीधी भर्ती/पदोन्नति/ स्थानान्तरण से) होने पर उक्त अस्थायी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में नियुक्त/तैनात किए जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
4. गेस्ट टीचर/अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रू0 15000/– (पन्द्रह हजार रूपये) मात्र की दर से अनुमन्य होगा।

उक्तवत तैनात अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कॉलम–11 में अंकित तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(आर0सी0पुरोहित)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पवत।

पृ0 संख्या/सेवायें–1/ 9480-89 /अतिथि शिक्षक/2020–21/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
3. कोषाधिकारी चम्पावत।
4. वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा जनपद चम्पावत।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से कि संबंधित अभ्यर्थी की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं का भली–भांति मिलान करने के उपरान्त नोटरी शपथ पत्र में अनुबंधित करने क उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करायें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाय

मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पावत।

कार्यालयः– मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चम्पावत।

आदेश संख्या/सेवायें–1/ 173 / अतिथि शिक्षक /2020–21/ दिनांक 20 नवम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या –284– 286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी 2020 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश सं0–104(1)/XXIV-B-1/2020–32(01)/2013 टी0सी0–5 दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त अनुमति एवं निर्देशो के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–1023/XXIV–नवसृजित/18–32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर 2018 एवं निदेशालय के पत्रांक–सेवा–2/6031/गेस्ट टीचर/2020–21/दिनांक 22 जुलाई, 2020 के क्रम में गेस्ट टीचर के रूप में चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–11 में अंकित विद्यालय में **प्रवक्ता समाजशास्त्र** के रिक्त पद के प्रति नितान्त अस्थाई रूप से तैनात किया जाता है:–

प्रवक्ता समाजशास्त्र सामान्य–शाखा

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	लिंग (M/F)	जन्म तिथि	जाति (GEN/ SC/ ST/ OBC)	आरक्षित उपश्रेणी (PH/ EX/ FF)	शैक्षिक योग्यता	सत्यापन के उपरान्त मेरिट के गुणांक	तैनाती का विषय	तैनाती के विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	याकूब अली	पीर मोहम्मद ग्राम– नौसर तहसील खटीमा ऊ0सिं0नगर।	पुरूष	01-01-1974	Obc	–	स्नातकोत्तर/ बी0एड0	**53.84**	समाजशास्त्र	रा0इ0का0 दशलेख

उक्त तैनाती निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी:–

1. मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–284–286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil) Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2020 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत है–

(VIII) In the interregnum period, to take care of the exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularisation or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.

(IX) The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31st March, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly seleted guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.

2. उक्त आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–284–286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी 2020 के अधीन रहेंगे।

3. यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी, नियमित नियुक्ति (सीधी भर्ती/पदोन्नति/ स्थानान्तरण से) होने पर उक्त अस्थायी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में नियुक्त/तैनात किए जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
4. गेस्ट टीचर/अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रू0 15000/– (पन्द्रह हजार रूपये) मात्र की दर से अनुमन्य होगा।

उक्तवत तैनात अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कॉलम–11 में अंकित तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

LB
(आर0सी0पुरोहित)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पवत।

9490-98

पृ0 संख्या/सेवायें–1/ /अतिथि शिक्षक/2020–21/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
3. कोषाधिकारी चम्पावत।
4. वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा जनपद चम्पावत।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से कि संबंधित अभ्यर्थी की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं का भली–भांति मिलान करने के उपरान्त नोटरी शपथ पत्र में अनुबंधित करने क उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करायें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पावत।

कार्यालयः– मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चम्पावत।

आदेश संख्या/सेवायें–1/ 174 / अतिथि शिक्षक /2020–21/ दिनांक 20 नवम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या –284– 286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी 2020 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश सं0–104(1)/XXIV-B-1/2020–32(01)/2013 टी0सी0–5 दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त अनुमति एवं निर्देशो के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–1023/XXIV–नवसृजित/18–32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर 2018 एवं निदेशालय के पत्रांक–सेवा–2/6031/गेस्ट टीचर/2020–21/दिनांक 22 जुलाई, 2020 के क्रम में गेस्ट टीचर के रूप में चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–11 में अंकित विद्यालय में **प्रवक्ता संस्कृत** के रिक्त पद के प्रति नितान्त अस्थाई रूप से तैनात किया जाता हैः–

प्रवक्ता संस्कृत (सामान्य–शाखा)

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	लिंग (M/F)	जन्म तिथि	जाति (GEN/ SC/ ST/ OBC)	आरक्षित उपश्रेणी (PH/ EX FF)	शैक्षिक योग्यता	सत्यापन के उपरान्त मेरिट के गुणांक	तैनाती का विषय	तैनाती के विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	हेमा	श्री चन्द्रकान्त पचोली ग्राम–कांडे पोस्ट मूलाकोट (चम्पावत)	महिला	02-06-1985	Gen	—	स्नातकोत्तर/ बी0एड0	**79.51**	संस्कृत	रा0इ0का0 गैंडाखाली
2	श्री प्रकाश राम	श्री हयात राम ग्राम–बैडा पोस्ट रेघांव (चम्पावत)	पुरूष	30-06-1985	Sc	—	स्नातकोत्तर/ बी0एड0	**57.47**	संस्कृत	रा0इ0का0 बिनवाल गांव

उक्त तैनाती निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगीः–

1. मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–284–286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil) Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2020 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत है–

(VIII) In the interregnum period, to take care of the exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularisation or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.

(IX) The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31st March, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly seleted guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.

2. उक्त आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–284–286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी 2020 के अधीन रहेंगे।
3. यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी, नियमित नियुक्ति (सीधी भर्ती/पदोन्नति/ स्थानान्तरण से) होने पर उक्त अस्थायी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में नियुक्त/तैनात किए जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
4. गेस्ट टीचर/अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रू0 15000/– (पन्द्रह हजार रूपये) मात्र की दर से अनुमन्य होगा।

उक्तवत तैनात अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कॉलम–11 में अंकित तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(आर0सी0पुरोहित)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पवत।

पृ0 संख्या/सेवायें–1/ 9499–9506 /अतिथि शिक्षक/2020–21/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
3. कोषाधिकारी चम्पावत।
4. वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा जनपद चम्पावत।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से कि संबंधित अभ्यर्थी की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं का भली–भांति मिलान करने के उपरान्त नोटरी शपथ पत्र में अनुबंधित करने क उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करायें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पावत।

कार्यालयः– मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चम्पावत।

आदेश संख्या/सेवायें–1/ 175 /अतिथि शिक्षक/2020–21/ दिनांक 20 नवम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या –284– 286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी 2020 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश सं0–104(1)/XXIV-B-1/2020–32(01)/2013 टी0सी0–5 दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त अनुमति एवं निर्देशो के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–1023/XXIV–नवसृजित/18–32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर 2018 एवं निदेशालय के पत्रांक–सेवा–2/6031/गेस्ट टीचर/2020–21/दिनांक 22 जुलाई, 2020 के क्रम में गेस्ट टीचर के रूप में चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–11 में अंकित विद्यालय में **प्रवक्ता राजनीति विज्ञान** के रिक्त पद के प्रति नितान्त अस्थाई रूप से तैनात किया जाता हैः–

प्रवक्ता राजनीति विज्ञान (सामान्य–शाखा)

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	लिंग (M/F)	जन्म तिथि	जाति (GEN/ SC/ ST/ OBC)	आरक्षित उपश्रेणी (PH/ EX/ FF)	शैक्षिक योग्यता	सत्यापन के उपरान्त मेरिट के गुणांक	तैनाती का विषय	तैनाती के विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	श्री किशोर जोशी	श्री नारायण दत्त जोशी ग्राम–गांधी चौक बाराकोट पोस्ट बाराकोट (चम्पावत)	पुरूष	27-03-1985	Gen	–	स्नातकोत्तर/ बी0एड0	**70.36**	राजनीति विज्ञान	रा0इ0का0 बरदाखान
2	श्री रमेश सिंह महराना	श्री शिवराज सिंह ग्राम–पचनई पोस्ट अमोडी (चम्पावत)	पुरूष	01-07-1989	Gen	–	स्नातकोत्तर/ बी0एड0	**69.43**	राजनीति विज्ञान	रा0इ0का0 रौंशाल
3	गीता कालाकोटी	श्री गोपाल कालाकोटी ग्राम–काकड (नरी) पोस्ट बाराकोट (चम्पावत)	महिला	25-06-1985	Sc	–	स्नातकोत्तर/ बी0एड0	**62.50**	राजनीति विज्ञान	रा0इ0का0 जानकीधार

उक्त तैनाती निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगीः–

1. मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–284–286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil) Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2020 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत है–

(VIII) In the interregnum period, to take care of the exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularisation or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.

(IX) The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31st March, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly seleted guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.

2. उक्त आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–284–286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी 2020 के अधीन रहेंगे।
3. यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी, नियमित नियुक्ति (सीधी भर्ती/पदोन्नति/ स्थानान्तरण से) होने पर उक्त अस्थायी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में नियुक्त/तैनात किए जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
4. गेस्ट टीचर/अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रू0 15000/– (पन्द्रह हजार रूपये) मात्र की दर से अनुमन्य होगा।

उक्तवत तैनात अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कॉलम–11 में अंकित तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(आर0सी0पुरोहित)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पवत।

पृ0 संख्या/सेवायें–1/ 9507-16 /अतिथि शिक्षक/2020–21/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
3. कोषाधिकारी चम्पावत।
4. वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा जनपद चम्पावत।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से कि संबंधित अभ्यर्थी की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं का भली–भांति मिलान करने के उपरान्त नोटरी शपथ पत्र में अनुबंधित करने क उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करायें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पावत।

कार्यालयः– मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चम्पावत।

आदेश संख्या/सेवायें–1/ 176 /अतिथि शिक्षक/2020–21/ दिनांक 20 नवम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या –284– 286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी 2020 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश सं0–104(1)/XXIV-B-1/2020–32(01)/2013 टी0सी0–5 दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त अनुमति एवं निर्देशो के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–1023/XXIV–नवसृजित/18–32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर 2018 एवं निदेशालय के पत्रांक–सेवा–2/6031/गेस्ट टीचर/2020–21/दिनांक 22 जुलाई, 2020 के क्रम में गेस्ट टीचर के रूप में चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–11 में अंकित विद्यालय में **प्रवक्ता जीव विज्ञान** के रिक्त पद के प्रति नितान्त अस्थाई रूप से तैनात किया जाता हैः–

प्रवक्ता जीव विज्ञान सामान्य–शाखा

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	लिंग (M/F)	जन्म तिथि	जाति (GEN/SC/ST/OBC)	आरक्षित उपश्रेणी (PH/EX/FF)	शैक्षिक योग्यता	सत्यापन के उपरान्त मेरिट के गुणांक	तैनाती का विषय	तैनाती के विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	इन्दु जोशी	श्री सतीश चन्द्र ग्राम–कजीना पोस्ट मूलाकोट (चम्पावत)	महिला	19-11-1988	Gen	–	स्नातकोत्तर/बी0एड0	**66.64**	जीव विज्ञान	रा0इ0का0 पाटी

उक्त तैनाती निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगीः–

1. मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–284–286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil) Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2020 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत है–

(VIII) In the interregnum period, to take care of the exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularisation or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.

(IX) The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31st March, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly seleted guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.

2. उक्त आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–284–286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी 2020 के अधीन रहेंगे।

3. यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी, नियमित नियुक्ति (सीधी भर्ती/पदोन्नति/ स्थानान्तरण से) होने पर उक्त अस्थायी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में नियुक्त/तैनात किए जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
4. गेस्ट टीचर/अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रू0 15000/– (पन्द्रह हजार रूपये) मात्र की दर से अनुमन्य होगा।

उक्तवत तैनात अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कॉलम–11 में अंकित तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(आर0सी0पुरोहित)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पवत।

पृ0 संख्या/सेवायें–1/ 9817-24 **/अतिथि शिक्षक/2020–21/ तद्दिनांक।**

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
3. कोषाधिकारी चम्पावत।
4. वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा जनपद चम्पावत।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से कि संबंधित अभ्यर्थी की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं का भली–भांति मिलान करने के उपरान्त नोटरी शपथ पत्र में अनुबंधित करने क उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करायें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पावत।

कार्यालयः– मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चम्पावत।

आदेश संख्या/सेवायें–1/ 177 /अतिथि शिक्षक/2020–21/ दिनांक 20 नवम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या –284– 286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी 2020 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश सं0–104(1)/XXIV-B-1/2020–32(01)/2013 टी0सी0–5 दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त अनुमति एवं निर्देशो के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–1023/XXIV–नवसृजित/18–32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर, 2018 एवं निदेशालय के पत्रांक–सेवा–2/6031/गेस्ट टीचर/2020–21/दिनांक 22 जुलाई, 2020 के क्रम में गेस्ट टीचर के रूप में चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–11 में अंकित विद्यालय में **प्रवक्ता इतिहास** के रिक्त पद के प्रति नितान्त अस्थाई रूप से तैनात किया जाता हैः–

प्रवक्ता इतिहास (सामान्य–शाखा)

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	लिंग (M/F)	जन्म तिथि	जाति (GEN/ SC/ ST/ OBC)	आरक्षित उपश्रेणी (PH/ EX/ FF)	शैक्षिक योग्यता	सत्यापन के उपरान्त मेरिट के गुणांक	तैनाती का विषय	तैनाती के विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	श्री श्याम सिंह	श्री चन्द्र सिंह ग्राम–आनन्दपुर चन्दनी बनबसा (चम्पावत)	पुरूष	01-08-1975	Gen	–	स्नातकोत्तर/ बी0एड0	**71.15**	इतिहास	रा0इ0का0 टांण
2	श्री प्रभात रंजन जोशी	श्री हरिकृष्ण जोशी ग्राम–बचकोट पोस्ट तामली (चम्पावत)	पुरूष	05-07-1985	Gen	–	स्नातकोत्तर/ बी0एड0	**70.76**	इतिहास	रा0इ0का0 दयूरी
3	श्री होशियार लाल	श्री केशव राम ग्राम–बैडाओड पोस्ट इजडा (चम्पावत)	पुरूष	16-11-1986	Sc	–	स्नातकोत्तर/ बी0एड0	**69.44**	इतिहास	रा0इ0का0 रौंशाल

उक्त तैनाती निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगीः–

1. मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–284–286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil) Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2020 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत है–

(VIII) In the interregnum period, to take care of the exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularisation or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.

(IX) The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31st March, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly seleted guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.

2. उक्त आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–284–286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी 2020 के अधीन रहेंगे।
3. यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी, नियमित नियुक्ति (सीधी भर्ती/पदोन्नति/ स्थानान्तरण से) होने पर उक्त अस्थायी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में नियुक्त/तैनात किए जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
4. गेस्ट टीचर/अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रू0 15000/– (पन्द्रह हजार रूपये) मात्र की दर से अनुमन्य होगा।

उक्तवत तैनात अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कॉलम–11 में अंकित तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(आर0सी0पुरोहित)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पवत।

पृ0 संख्या/ 9525-34 /अतिथि शिक्षक/2020–21/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
3. कोषाधिकारी चम्पावत।
4. वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा जनपद चम्पावत।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से कि संबंधित अभ्यर्थी की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं का भली–भांति मिलान करने के उपरान्त नोटरी शपथ पत्र में अनुबंधित करने क उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करायें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पावत।

कार्यालयः– मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चम्पावत।

आदेश संख्या/सेवायें–1/ 178 /अतिथि शिक्षक/2020–21/ दिनांक 20 नवम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या –284– 286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी, 2020 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश सं0–104(1)/XXIV-B-1/2020–32(01)/2013 टी0सी0–5 दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त अनुमति एवं निर्देशो के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–1023/XXIV–नवसृजित/18–32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर 2018 एवं निदेशालय के पत्रांक–सेवा–2/6031/गेस्ट टीचर/2020–21/दिनांक 22 जुलाई, 2020 के क्रम में गेस्ट टीचर के रूप में चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–11 में अंकित विद्यालय में **प्रवक्ता अर्थशास्त्र** के रिक्त पद के प्रति नितान्त अस्थाई रूप से तैनात किया जाता हैः–

प्रवक्ता अर्थशास्त्र (सामान्य–शाखा)

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	लिंग (M/F)	जन्म तिथि	जाति (GEN/ SC/ ST/ OBC)	आरक्षित उपश्रेणी (PH/ EX/ FF)	शैक्षिक योग्यता	सत्यापन के उपरान्त मेरिट के गुणांक	तैनाती का विषय	तैनाती के विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	श्री रमेश चन्द्र	श्री खीमा नन्द ग्राम–प्रातल (गडकोट) पोस्ट सैन्दर्क चम्पावत।	पुरूष	10-05-1975	Gen	–	स्नातकोत्तर/ बी0एड0	**66.62**	अर्थशास्त्र	रा0इ0का0 दूबचौडा
2	श्री मोहन चन्द्र	श्री गंगा दत्त ग्राम–सैल्ला खोला पोस्ट चम्पावत जनपद (चम्पावत)	पुरूष	25-08-1975	Gen	–	स्नातकोत्तर/ बी0एड0	**65.65**	अर्थशास्त्र	रा0इ0का0 डाडाककनई
3	श्रीमती विनीता जोशी	श्री रमेश चन्द्र ग्राम–मल्ली गुरना पोस्ट छनदा रेगडू (चम्पावत)	महिला	01-01-1984	Gen	–	स्नातकोत्तर/ बी0एड0	**56.83**	अर्थशास्त्र	रा0इ0का0 धूनाघाट

उक्त तैनाती निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगीः–

1. मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–284–286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil) Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2020 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत है–

(VIII) In the interregnum period, to take care of the exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularisation or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.

(IX) The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31st March, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly seleted guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.

2. उक्त आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–284–286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी 2020 के अधीन रहेंगे।
3. यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी, नियमित नियुक्ति (सीधी भर्ती/पदोन्नति/ स्थानान्तरण से) होने पर उक्त अस्थायी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में नियुक्त/तैनात किए जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
4. गेस्ट टीचर/अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रू0 15000/– (पन्द्रह हजार रूपये) मात्र की दर से अनुमन्य होगा।

उक्तवत तैनात अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कॉलम–11 में अंकित तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(आर0सी0पुरोहित)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पवत।

9535-45

पृ0 संख्या/सेवायें–1/ /अतिथि शिक्षक/2020–21/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
3. कोषाधिकारी चम्पावत।
4. वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा जनपद चम्पावत।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से कि संबंधित अभ्यर्थी की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं का भली–भांति मिलान करने के उपरान्त नोटरी शपथ पत्र में अनुबंधित करने क उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करायें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पावत।